

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 35

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण

क. वसूलियों तथा राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	19909.64	16030.11	35939.75	20657.56	12941.62	33599.18	23169.55	16960.00	40129.55	
पूंजी	23196.92	...	23196.92	22449.00	2.00	22451.00	24757.92	10.00	24767.92	
जोड़	43106.56	16030.11	59136.67	43106.56	12943.62	56050.18	47927.47	16970.00	64897.47	
(करोड़ रुपए)										
राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान:										
आयोजना-भिन्न अनुदान										
1. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	3601	...	14955.11	14955.11	...	12616.62	12616.62	...	16635.00	16635.00
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के एवज़ में अनुदान	3602	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00
3. मूल्य वृद्धित कर आरम्भ करने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति	3601	...	700.00	700.00
राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम:										
आयोजना-भिन्न ऋण										
4. अर्थापय अग्रिम										
4.01 अदायगियां	7601	...	2000.00	2000.00	...	2500.00	2500.00	...	2000.00	2000.00
4.02 घटाइए-वर्ष के दौरान वसूलियां	7601	...	-2000.00	-2000.00	...	-2500.00	-2500.00	...	-2000.00	-2000.00
निवल	
5. पंजाब, सरकार को मध्यावधिक आयोजना भिन्न ऋण	7601	2.00	2.00	...	10.00	10.00
6. ऋणों का रूपांतरण/बट्टे खाते में डालना										
6.01 नागालैंड सरकार को अनुदान के रूप में ऋणों का रूपांतरण	3601	365.00	365.00
6.02 राज्य सरकारों के बट्टे-खाते डाले गए ऋण	2075	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	100.00	100.00
6.03 घटाइए-निवल प्राप्तियां	0075	-415.00	-415.00	...	-100.00	-100.00
निवल		...	50.00	50.00
राज्यों की आयोजनागत स्कीमों के लिए अनुदान/ऋण:										
7. एकमुश्त अनुदान	3601	19909.64	...	19909.64	20657.56	...	20657.56	23169.55	...	23169.55
8. एकमुश्त ऋण	7601	23196.92	...	23196.92	22449.00	...	22449.00	24757.92	...	24757.92
प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत										
9. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण	2245	...	3600.00	3600.00	...	1600.00	1600.00	...	1600.00	1600.00
घटाइए-आय कर/निगम कर पर अधिभार	0021	...	-3600.00	-3600.00	...	-1600.00	-1600.00	...	-1600.00	-1600.00
निवल	
10. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता	3601	...	1600.00	1600.00
घटाइए-एन.सी.सी.एफ.से अंतरण द्वारा पूरी की गई राशि	8235	...	-1600.00	-1600.00
Net	
11. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता	2245	1800.00	1800.00	...	1600.00	1600.00
घटाइए-एन.सी.सी.एफ.से अंतरण द्वारा पूरी की गई राशि	8235	-1800.00	-1800.00	...	-1600.00	-1600.00
निवल	
कुल जोड़		43106.56	16030.11	59136.67	43106.56	12943.62	56050.18	47927.47	16970.00	64897.47
ग. आयोजना परिव्यय										
विकास		बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़
शीर्ष		समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.	
राज्य आयोजनाएं										
1. सामान्य केंद्रीय सहायता	43601	22484.16	...	22484.16	20000.00	...	20000.00	25188.07	...	25188.07

सं.35 / राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण

विकास शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	
2. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	43601	6728.00	...	6728.00	8500.00	...	8500.00	7000.00	...	7000.00
3. अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	43601	1788.22	...	1788.22
4. विशेष केन्द्रीय सहायता-पर्वतीय क्षेत्र	43601	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00
5. विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमा क्षेत्र	43601	260.00	...	260.00	260.00	...	260.00	325.00	...	325.00
6. विशेष केन्द्रीय सहायता	43601	750.00	...	750.00
7. प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई)-अन्य	43601	2766.00	...	2766.00	2400.00	...	2400.00	2766.00	...	2766.00
8. गन्दी बस्ती विकास	43601	341.00	...	341.00	341.00	...	341.00	341.00	...	341.00
9. विशेष आयोजना सहायता	43601	700.00	...	700.00	1083.00	...	1083.00	700.00	...	700.00
10. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	43601	2800.00	...	2800.00	2250.00	...	2250.00	2800.00	...	2800.00
11. त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम/एपीडीपी	43601	3500.00	...	3500.00	3300.00	...	3300.00	3500.00	...	3500.00
12. ग्रामीण विद्युतीकरण	43601	600.00	...	600.00	300.00	...	300.00	600.00	...	600.00
13. अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	43601	676.00	...	676.00	618.34	...	618.34	676.00	...	676.00
14. शहरी आधार ढांचा सुदृढीकरण हेतु पहल	43601	500.00	...	500.00	250.00	...	250.00	500.00	...	500.00
15. राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई)	43601	1450.00	...	1450.00	1000.00	...	1000.00	3230.00	...	3230.00
16. किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम	43601	141.40	...	141.40	100.00	...	100.00	141.40	...	141.40
17. मारु गोचर योजना (एमजीवाई)	43601	6.00	...	6.00
जोड़		43106.56	...	43106.56	43106.56	...	43106.56	47927.47	...	47927.47

इस मांग में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्यों को ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर देय अनुदान; राज्य आयोजनागत स्कीमों के लिए ब्लॉक अनुदान तथा ऋण; ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण; माध्यम अवधि आयोजना-भिन्न ऋण; राज्यों को अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिम तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि, जिस की स्थापना ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पश्चात् की गई, एनसीसीएफ निधियन इस प्रयोजनार्थ वैयक्तिक तथा निगम आय कर पर प्रभारित अधिभार से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

ग्रामीण स्तर पर स्थाई मानव विकास के लिए "प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)" नामक एक नई योजना वर्ष 2000-2001 में आरम्भ की गई थी। यह स्कीम ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण स्वास्थ्य, पेय जल, प्राथमिक शिक्षा तथा ग्रामीण आवास पर ध्यान केंद्रित करेगी। राज्य प्लान योजना के लिए अनुमान ब्लाक

अनुदानों तथा ऋणों के तहत इस संबंध में शामिल किए गए हैं। वर्ष 2001-2002 से, ग्रामीण सड़क घटक "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के अंतर्गत 100% अनुदान योजना के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्ष 2002-2003 से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (अन्नपूर्णा सहित), शहरी अवसंरचना सुदृढीकरण के लिए उपाय एवं विकास तथा सुधार सुविधा जिसका नाम बदल कर राष्ट्रीय सम विकास योजना रख दिया गया है, राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में शुरु की गई योजनाएं हैं। वर्ष 2003-04 से, किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुमोदित नई योजना है।

इस अनुदान के अंतर्गत शामिल प्रावधान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त मंत्रालय द्वारा अंतरित संसाधनों के अंतरण के द्योतक हैं।